RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

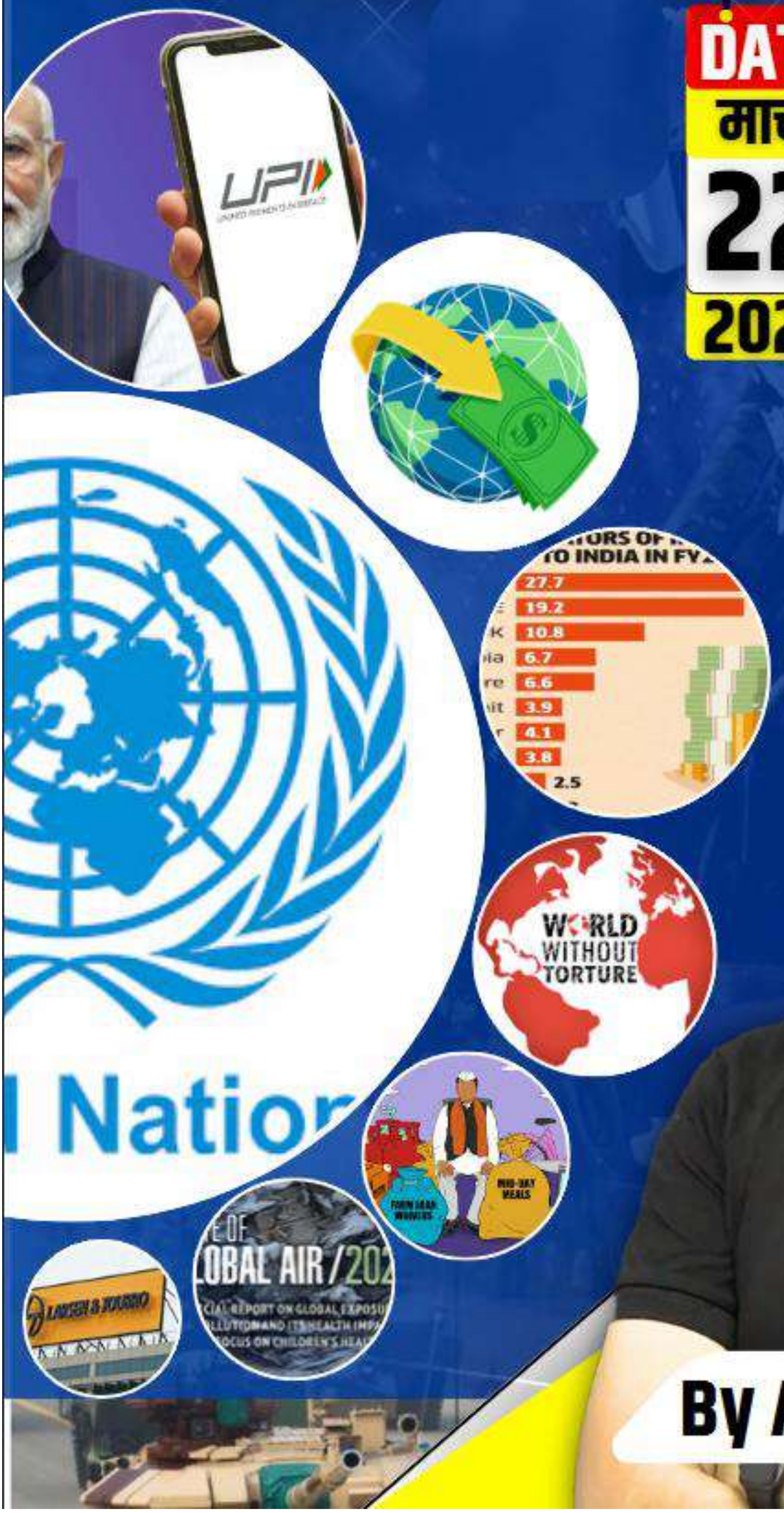

DATE
मार्च
22
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

UPI प्रोत्साहन योजना / UPI Incentive Scheme

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी - P2M) को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दी।

UPI प्रोत्साहन योजना: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुमानित खर्च: ₹1,500 करोड़।

प्रोत्साहन संरचना:

- बैंकों को ₹2,000 से कम के UPI लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन मिलेगा।
- हर तिमाही में बैंकों को बिना किसी प्रतिबंध के स्वीकृत दावा राशि का 80% भुगतान किया जाएगा।
- शेष 20% भुगतान कुछ प्रदर्शन मानकों को प्राप्त करने पर निर्भर करेगा:
    - तकनीकी अस्वीकृति दर (Technical Decline Rate) 0.75% से कम होनी चाहिए।
    - सिस्टम का अपटाइम 99.5% से अधिक होना चाहिए।

लक्षित समूह:

- यह योजना विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए बनाई गई है, जो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के UPI भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत व्यापारियों के लिए UPI लेनदेन पूरी तरह से नि:शुल्क रहेगा।

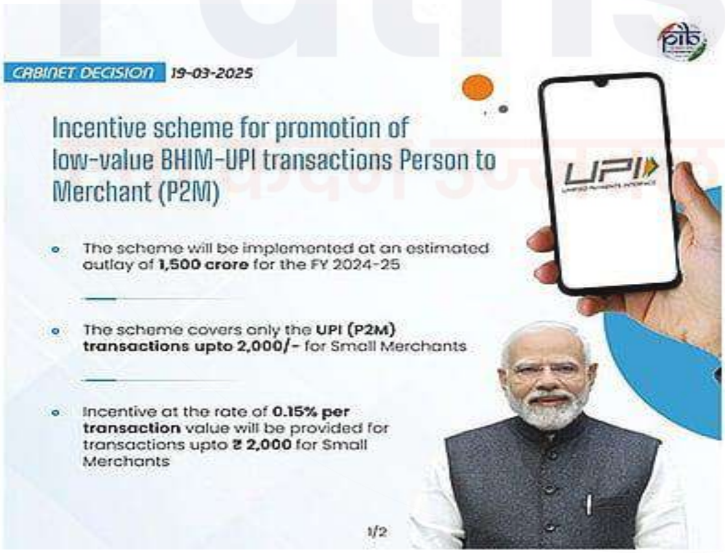

उद्देश्य:

- स्वदेशी BHIM-UPI प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए UPI के माध्यम से ₹20,000 करोड़ का कुल लेनदेन मूल्य हासिल करना।
- **UPI का प्रसार** - टियर 3 से 6 शहरों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में निम्नलिखित नवाचारी उत्पादों के प्रचार द्वारा:
    - **UPI 123PAY**
    - **ऑफलाइन भुगतान समाधान**
- एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल भुगतान ढांचा बनाना, जिसमें न्यूनतम तकनीकी अस्वीकृति हो।

योजना के लाभ:

साधारण नागरिकों के लिए लाभ: बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सहज भुगतान सुविधा।

छोटे व्यापारियों के लिए लाभ:

- छोटे व्यापारी बिना किसी अतिरिक्त लागत के UPI सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।
- छोटे व्यापारी मूल्य-संवेदनशील होते हैं, इसलिए प्रोत्साहन उन्हें UPI भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा।

कम नकद अर्थव्यवस्था का समर्थन: लेनदेन को डिजिटल रूप में औपचारिक बनाकर और उसका लेखा-जोखा रखकर सरकार के कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का समर्थन करना।

दक्षता में सुधार:

- 20% प्रोत्साहन बैंकों के उच्च सिस्टम अपटाइम और कम तकनीकी अस्वीकृति बनाए रखने पर निर्भर है।
- इससे नागरिकों के लिए चौबीसों घंटे भुगतान सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

उद्योग की चिंताएँ:

अपर्याप्त राशि की समस्या: डिजिटल भुगतान उद्योग का मानना है कि ₹1,500 करोड़ की राशि UPI प्रोसेसिंग लागत को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है।

उद्योग के अनुमान: पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के लिए ₹4,000-₹5,000 करोड़ की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों के सुझाव:

- ₹40 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए 0.25% का नियंत्रित **MDR (Merchant Discount Rate)** लागू करना।
- छोटे व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को जारी रखना।

प्रेषण / Remittances

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के **छठे भारत प्रेषण सर्वेक्षण (2023-24)** के अनुसार, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (AEs), विशेष रूप से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम (UK), प्रेषण के प्रमुख स्रोत के रूप में खाड़ी देशों से आगे निकल गई हैं।

भारत के प्रेषण सर्वेक्षण (2023-24) के छठे दौर के प्रमुख निष्कर्ष:

प्रेषण स्रोत में बदलाव:

- भारत का कुल प्रेषण 2010-11 में **USD 55.6 बिलियन** से बढ़कर 2023-24 में **USD 118.7 बिलियन** हो गया।
- **अमेरिका (27.7%)** 2023-24 में सबसे बड़ा प्रेषण स्रोत रहा, इसके बाद **UAE (19.2%)**।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (AEs) जैसे **यूके, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया** का कुल योगदान **50% से अधिक** रहा।
- **यूके का हिस्सा** 2016-17 में **3.4%** से बढ़कर 2023-24 में **10.8%** हो गया, मुख्यत: भारतीय प्रवास में वृद्धि के कारण।
- **ऑस्ट्रेलिया** भी एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा, जिसकी हिस्सेदारी **2.3%** रही।
- **GCC देशों (UAE, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन)** का कुल योगदान घटकर **38% (2023-24)** रह गया, जो 2016-17 में **47%** था।

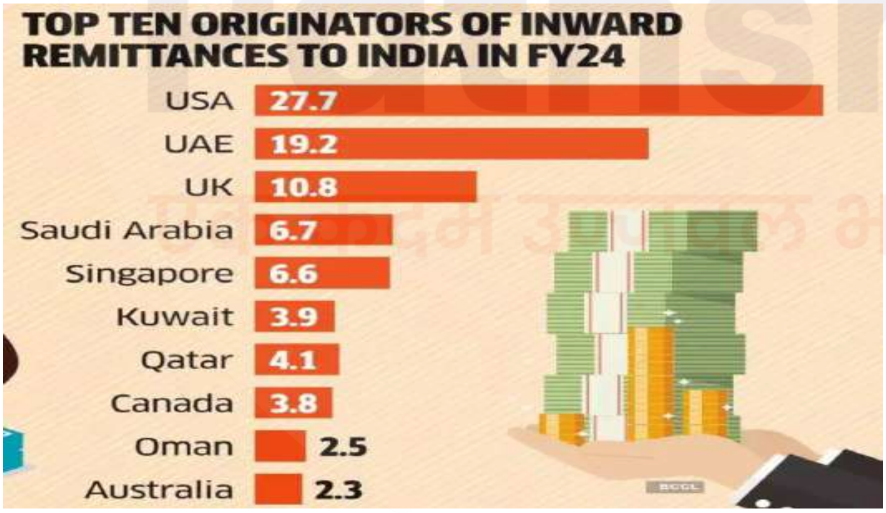

राज्यवार प्रेषण वितरण:

- **महाराष्ट्र (20.5%)** सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला राज्य बना रहा, इसके बाद **केरल (19.7%)**।
- अन्य प्रमुख राज्य: **तमिलनाडु (10.4%), तेलंगाना (8.1%), कर्नाटक (7.7%)**
- पंजाब और हरियाणा में प्रेषण में वृद्धि देखी गई।

रुझानों के कारण:

1. **UAE:** भारतीय प्रवासी ज्यादातर ब्लू-कॉलर नौकरियों (निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य, पर्यटन) में लगे हैं।
2. **अमेरिका:** भारतीय प्रवासी मुख्य रूप से व्हाइट-कॉलर नौकरियों (प्रबंधन, व्यापार, विज्ञान, कला) में कार्यरत हैं, जिससे उच्च आय के कारण अधिक रेमिटेंस भेजे जाते हैं।

रेमिटेंस (प्रेषण):

रेमिटेंस का अर्थ: यह वह धन या वस्तुएं हैं जो प्रवासी अपने परिवार और दोस्तों को अपने गृह देश में भेजते हैं।

रेमिटेंस की स्थिति (Balance of Payments - BoP):

- रेमिटेंस, किसी अर्थव्यवस्था के **BoP (चालू खाता - Current Account)** में ट्रांसफर भुगतान (Transfer Payment) श्रेणी का हिस्सा है।
- **BoP (चालू खाता):** यह एक देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच एक निश्चित समयावधि (आमतौर पर एक वर्ष) में किए गए वस्तुओं, सेवाओं और संपत्तियों के लेनदेन को दर्शाता है।
- **ट्रांसफर भुगतान:**
  - ये वे प्राप्तियां होती हैं जो किसी देश के निवासियों को 'मुफ्त' में मिलती हैं, बिना वस्तु या सेवा प्रदान किए।
  - इनमें उपहार, रेमिटेंस और अनुदान शामिल होते हैं।
  - ये भुगतान सरकार द्वारा या विदेश में रहने वाले निजी नागरिकों द्वारा दिए जा सकते हैं।

रेमिटेंस का महत्व:

1. **आय में वृद्धि:** यह परिवारों की **डिस्पोजेबल आय** बढ़ाता है।
2. **गरीबी में कमी:** आर्थिक सहायता मिलने से गरीबी को कम करने में मदद मिलती है।
3. **मानव पूंजी में निवेश:** शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करता है।
4. **विदेशी मुद्रा का स्रोत:** यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
5. **BoP को स्थिर करना:** रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में **BoP (चालू खाता)** को संतुलित करने में मदद करता है।

संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी संधि/ united nations anti torture convention

संदर्भ:

हाल ही में, ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भारतीय सरकार की संजय भंडारी के प्रत्यर्पण की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि भारत में हिरासत के दौरान यातना की आशंका बनी हुई है, क्योंकि भारत **संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी संधि (UNCAT)** का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी अभिसमय (UNCAT):

यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड को रोकना है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

1. स्थापना और प्रभावी होने की तिथि:

- **स्वीकृति:** 10 दिसंबर 1984 को UN महासभा द्वारा।
- **प्रभावी होने की तिथि:** 26 जून 1987।

2. यातना की परिभाषा (Article 1):

- जानबूझकर गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुँचाना।
- उद्देश्य: जानकारी प्राप्त करना, दंड देना या डराना।
- इसमें किसी सार्वजनिक अधिकारी की संलिप्तता या सहमति शामिल होती है।

3. सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र (Universal Jurisdiction) (Article 5):

- सदस्य देशों को यातना के आरोपी व्यक्तियों को मुकदमा चलाने या प्रत्यर्पित करने की आवश्यकता है।
- यह नियम अपराध होने के स्थान या अपराधी की राष्ट्रीयता पर निर्भर नहीं होता।

4. राज्य की जिम्मेदारियाँ (State Obligations):

- **यातना का पूर्ण प्रतिबंध (Article 2):** युद्ध या अन्य आपात स्थितियों में भी यातना पर पूर्ण प्रतिबंध।
- **प्रत्यर्पण और निर्वासन का निषेध (Article 3):** ऐसे देशों में व्यक्तियों को न भेजना जहाँ यातना का खतरा हो।
- **घरेलू कानून में यातना का अपराधीकरण (Article 4):** यातना को घरेलू कानून के अंतर्गत अपराध घोषित करना।
- **जाँच और न्याय (Article 12):** यातना के आरोपों की शीघ्र और निष्पक्ष जांच करना।
- **पीड़ितों के लिए प्रतिकार और मुआवजा (Article 14):** यातना पीड़ितों को न्याय और मुआवजा प्रदान करना।

भारत और UNCAT:

1. प्रारंभिक पहलें: भारत ने **संयुक्त राष्ट्र महासभा के एकतरफा यातना विरोधी घोषणापत्र (Unilateral Declaration against Torture)** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- भारत ने अन्य मानवाधिकार समझौतों की भी पुष्टि की है, जैसे:
  - सर्वव्यापी मानवाधिकार घोषणा- 1948)।
  - अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार संधि- **1976**)।

2. गैर-स्वीकृति (Non - Ratification):

- इन प्रतिबद्धताओं के बावजूद, भारत ने **UNCAT की पुष्टि नहीं की है।**
- भारत उन देशों की सूची में शामिल है जिन्होंने UNCAT की पुष्टि नहीं की है, जैसे: **अंगोला, ब्रुनेई और सूडान।**

भारत द्वारा UNCAT की पुष्टि न करने के कारण:

1. परिचालन आवश्यकताएँ: यह संधि **कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा बलों की परिचालन आवश्यकताओं** में बाधा डाल सकती है।

2. बाहरी जांच का डर (Fear of External Scrutiny):

- UNCAT की पुष्टि करने से भारत को **अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा तंत्र (International Review Mechanisms)** के अधीन होना पड़ेगा।
- सरकार इसे **घरेलू कानूनी प्रक्रियाओं** में हस्तक्षेप मानती है।

3. आंतरिक सुरक्षा कानून: भारत का मानना है कि **BNS (भारतीय न्याय संहिता)** और **BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)** में यातना के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान हैं।

यातना विरोधी कानून के लिए सिफारिशें (Recommendation for an Anti-torture Law):

1. राज्यसभा समिति- 2010:

यातना निवारण विधेयक, 2010 (Prevention of Torture Bill, 2010):

- राज्यसभा समिति ने एक **व्यापक यातना विरोधी कानून (Comprehensive Anti-torture Law)** बनाने की सिफारिश की।
- यह सिफारिश **मजबूत राजनीतिक और जन समर्थन** को दर्शाती है।

2. भारतीय विधि आयोग- 2017:

273वीं रिपोर्ट (273rd Report):

- **UNCAT की पुष्टि (Ratification of UNCAT)** करने और इसे लागू करने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की।
- यातना को **अपराध की श्रेणी में शामिल (Criminalize Torture)** करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

फ्रीबीज / Freebies

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा अध्यक्ष **जगदीप धनखड़ ने** राजनीति में "**मुफ्त योजनाओं" (फ्रीबीज)** की संस्कृति की आलोचना करते हुए इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत बहस की आवश्यकता पर जोर दिया।

फ्रीबीज (Freebies)

अर्थ: फ्रीबीज का शाब्दिक अर्थ है ऐसी चीजें जो मुफ्त में दी जाती हैं। लेकिन व्यवहार में फ्रीबीज की कोई सटीक परिभाषा नहीं है।

फ्रीबीज के उदाहरण:

राज्य या केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं या सुविधाएं, जैसे:

- मुफ्त बिजली, पानी और सार्वजनिक परिवहन।
- बकाया बिलों की माफी।
- कृषि ऋण माफी।

फ्रीबीज और पब्लिक-मेरिट गुड्स में अंतर: फ्रीबीज को उन सार्वजनिक कल्याण योजनाओं से अलग समझना चाहिए, जिनका आर्थिक लाभ होता है, जैसे:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)।
- रोजगार गारंटी योजनाएं।
- शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकारी सहायता।

चुनौतियाँ और चिंताएँ (Challenges and Concerns)

1. **राज्य बजट पर दबाव:** फ्रीबीज देने से राज्य के बजट पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) और सार्वजनिक ऋण (Public Debt) बढ़ता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक समस्याओं का कारण बनता है।
2. **महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रभाव:** फ्रीबीज पर खर्च करने से बुनियादी ढाँचे (Infrastructure), शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए धन की कमी हो जाती है, जिससे विकास में बाधा आती है।
3. **निर्भरता और संसाधनों का दुरुपयोग:** फ्रीबीज देने से संसाधनों का अप्रभावी उपयोग होता है और लोगों में निर्भरता (Dependency) की भावना पैदा होती है, जो गरीबी के मूल कारणों का समाधान नहीं करता।
4. **प्रतिस्पर्धात्मक लोकलुभावनवाद (Competitive Populism):** राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज देने की होड़ नीति की प्रभावशीलता को कम करती है और दीर्घकालिक विकास की जगह अल्पकालिक लाभ पर जोर देती है।
5. **आवश्यक नीतिगत सुधारों की अनदेखी:** फ्रीबीज पर ध्यान देने से कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार सृजन में सुधार जैसे आवश्यक नीतिगत सुधारों उपेक्षा होती है।
6. **संविधान का प्रावधान:** संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य को कल्याण को बढ़ावा देने और असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है, लेकिन फ्रीबीज देने से राज्य के वित्त पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।

फ्रीबीज को प्रबंधित करने के प्रस्तावित समाधान (Proposed Solutions for Managing Freebies)

1. **सरकारी खर्च पर राष्ट्रीय नीति:**
   - एक स्पष्ट ढांचा होना चाहिए जो यह परिभाषित करे कि कौन सी कल्याणकारी योजनाएँ आवश्यक सब्सिडी (Subsidies) हैं और कौन सी राजनीतिक लाभ के लिए दी जा रही फ्रीबीज हैं।
   - संसदीय निगरानी (Parliamentary Oversight) से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आर्थिक नीतियाँ सामाजिक कल्याण और वित्तीय जिम्मेदारी में संतुलन बनाए रखें।
2. **कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** बिचौलियों को हटाना और सब्सिडी के लिए DBT का उपयोग करना लीकेज और भ्रष्टाचार को कम कर सकता है।
   - जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी ने पहले ही लाभ अंतरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में DBT को लागू करना प्रभावशीलता और जवाबदेही को सुधार सकता है।
3. **प्रदर्शन-आधारित कल्याणकारी कार्यक्रम:** लाभों को रोजगार सृजन, कौशल विकास या सामुदायिक सेवा से जोड़ने से योजनाएँ आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
4. **चुनावी वादों को नियंत्रित करना:** भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को ऐसे दिशानिर्देश बनाने चाहिए जो:
   - पार्टियों को चुनाव से पहले फ्रीबीज के वित्तीय प्रभाव को बताने के लिए बाध्य करें।
   - यह सुनिश्चित करें कि घोषणा पत्र में किए गए वादे राजस्व उत्पन्न करने की योजनाओं के आधार पर हों।
5. **संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MPLAD) प्रणाली का सुधार:** MPLAD फंड्स को बढ़ाने से स्थानीय विकास में सुधार हो सकता है, लेकिन यह होना चाहिए:
   - ⇒ पारदर्शिता और प्रभावशीलता के लिए मॉनिटर किया जाए।
   - ⇒ अल्पकालिक राजनीतिक लाभ की बजाय दीर्घकालिक परियोजनाओं से जोड़ा जाए।

वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 / State of Global Climate Report 2024

संदर्भ:

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा जारी "State of Global Climate Report 2024" के अनुसार, **वैश्विक तापमान** पेरिस समझौते की **1.5°C सीमा के करीब पहुंच रहा है**। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक तापवृद्धि के कारण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पिछले 8 लाख वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

WMO की 2024 की जलवायु स्थिति रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

1. महासागर से संबंधित तथ्य (Ocean-Related Facts):

- **महासागर की गर्मी (Ocean Warming):**
  - महासागर ग्लोबल हीट का 90% अवशोषित कर रहे हैं।
  - महासागर की ऊष्मा सामग्री (Ocean Heat Content) दर्ज इतिहास में सबसे अधिक है।
- **समुद्र का अम्लीकरण (Ocean Acidification):**
  - महासागर की सतह की अम्लीयता लगातार बढ़ रही है।
  - विशेष रूप से हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर, उत्तरी उष्णकटिबंधीय प्रशांत और कुछ अटलांटिक महासागर क्षेत्रों में सबसे तीव्र कमी दर्ज की गई।
- **समुद्र स्तर वृद्धि (Sea Level Rise):**
  - समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं।
  - अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ का स्तर अब तक के दूसरे सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।

2. तापमान और ग्लेशियर (Temperature & Glaciers):

- **तापमान वृद्धि (Temperature Increase):**
  - यह वर्ष 2024, 175 वर्षों के अवलोकन रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष रहा।
  - 2024 वह पहला वर्ष है जब 1.5°C पेरिस समझौता सीमा को वार्षिक रूप से पार किया गया।
  - यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा (C3S) का अनुमान है कि यह सीमा सितंबर 2029 तक पार की जा सकती है।
- **• ग्लेशियरों का नकारात्मक द्रव्यमान संतुलन:**
  - 2022-2024 की अवधि में रिकॉर्ड स्तर पर ग्लेशियरों की तीन वर्षों की सबसे बड़ी हानि दर्ज की गई।
  - पिछले 10 वर्षों में से 7 वर्षों में सबसे अधिक नकारात्मक मास बैलेंस दर्ज किया गया है।

3. ग्रीनहाउस गैसें (Greenhouse Gases):

- **CO_2 स्तर:** 2023 में CO_2 का स्तर 420 पार्ट्स प्रति मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले 8,00,000 वर्षों में सबसे अधिक है।
- **मीथेन (CH_4):** 1923 पार्ट्स प्रति बिलियन, जो औद्योगिक-पूर्व स्तरों का 266% है।
- **नाइट्रोजन ऑक्साइड (N_2O):** 335.8 पार्ट्स प्रति बिलियन, जो औद्योगिक-पूर्व स्तरों का 124% है।

4. विस्थापन और मौसम की घटनाएं:

- **अत्यधिक मौसम घटनाएं:** 2024 में रिकॉर्ड तोड़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं देखी गईं।
- **जलवायु प्रेरित विस्थापन:** 2024 में 2008 के बाद से जलवायु-प्रेरित विस्थापनों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO):

- **परिचय:** यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है और पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति और व्यवहार, भूमि और महासागरों के साथ इसकी बातचीत, मौसम और जलवायु, और जल संसाधनों के वितरण पर प्राधिकृत आवाज है।
- **स्थापना:** 1950
- **मुख्यालय:** जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड।
- **सदस्यता:** 193 सदस्य (187 सदस्य राज्य और 6 क्षेत्र)। प्रत्येक सदस्य का अपना मौसम विज्ञान सेवा तंत्र होता है।
- **मंडल (Mandate):** WMO का कार्यक्षेत्र मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), परिचालन जलविज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञानों से संबंधित है।

शासन संरचना (Governance Structure):

1. **विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस:** सर्वोच्च निकाय, जिसमें सभी सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रत्येक चार वर्ष में कम से कम एक बार नीतियों को निर्धारित करने और नियमों को अपनाने के लिए बैठक करता है।
2. **कार्यकारी परिषद:** 36-सदस्यीय निकाय जो नीतियों को लागू करने के लिए वार्षिक बैठक करता है।
3. **सचिवालय (Secretariat):** एक महासचिव द्वारा संचालित, जिसे चार साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। WMO का प्रशासनिक केंद्र है।

GPS स्पूफिंग / GPS Spoofing

संदर्भ:

संसद को सूचित किया गया कि **नवंबर 2023 से फरवरी 2025** के बीच **अमृतसर और जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों** में **विमानों के जीपीएस सिस्टम में हस्तक्षेप (इंटरफेरेंस) और स्पूफिंग** की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिससे नेविगेशन प्रणाली प्रभावित हो रही है।

GPS स्पूफिंग क्या है?

परिभाषा: GPS स्पूफिंग, जिसे GPS सिमुलेशन भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें झूठे GPS सिग्नल प्रसारित करके GPS रिसीवर को भ्रमित या धोखा दिया जाता है।

कैसे काम करता है:

- यह तकनीक GPS रिसीवर को ऐसा महसूस कराती है कि वह ऐसी जगह पर स्थित है, जहाँ वह वास्तव में नहीं है।
- इसका परिणाम यह होता है कि डिवाइस गलत स्थान की जानकारी प्रदान करने लगता है।

GPS स्पूफिंग कैसे काम करता है?

1. **GPS सिस्टम की कमजोरियां:** GPS स्पूफिंग GPS सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाता है, खासकर GPS उपग्रहों के कमजोर सिग्नल की।
   - GPS उपग्रहों से पृथ्वी स्थित रिसीवर्स तक सिग्नल भेजे जाते हैं।
   - ये रिसीवर्स, सिग्नल को प्राप्त करने में लगे समय के आधार पर अपनी स्थिति की गणना करते हैं।
2. **कमजोर सिग्नल की समस्या:** GPS उपग्रहों से आने वाले सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं।
   - ये सिग्नल नकली सिग्नलों से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके कारण डिवाइस को गलत स्थान की जानकारी मिलती है।
3. **स्पूफर की प्रक्रिया:** हमलावर सबसे पहले पीड़ित के GPS सेटअप को समझने की कोशिश करता है, जिसमें सिग्नल के प्रकार और उनके प्रोसेसिंग की जानकारी शामिल होती है।
   - इसके बाद, हमलावर नकली GPS सिग्नल भेजता है, जो असली सिग्नलों की तरह होते हैं।
4. **नकली सिग्नल का प्रभाव:** ये नकली सिग्नल असली सिग्नलों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं।
   - रिसीवर इन नकली सिग्नलों को असली सिग्नल मानकर प्रोसेस करता है।
   - इसके कारण, रिसीवर गलत स्थान की जानकारी देने लगता है।

सार्वजनिक लेखा समिति / Public Accounts Committee

संदर्भ:

लोक लेखा समिति ने **स्वदेश दर्शन योजना** के कमजोर कार्यान्वयन को लेकर **केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय** की आलोचना की है, जिसमें परियोजना निष्पादन और धन के उपयोग में कमियों को उजागर किया गया है।

सार्वजनिक लेखा समिति:

स्थापना: 1921 (भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति)।

उद्देश्य: भारत सरकार के राजस्व और व्यय का ऑडिट करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धन का कुशलता और वैध रूप से उपयोग हो रहा है।

मुख्य कार्य:

1. CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की सरकारी व्यय पर ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना।
2. संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि का सही ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करना।
3. वित्तीय अनियमितताओं, हानियों और सरकारी खर्च में अक्षमताओं की जांच करना।

सदस्यता:

- कुल सदस्य: 22 (15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से)।
- अध्यक्ष: लोकसभा का एक सांसद, जो परंपरागत रूप से विपक्ष से होता है।
- कार्यकाल: एक वर्ष।
- मंत्री PAC के सदस्य नहीं हो सकते।

स्वदेश दर्शन योजना (Swadesh Darshan Scheme):

लॉन्च: 2015 (पर्यटन मंत्रालय द्वारा)।

उद्देश्य: भारत में सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना और थीम आधारित पर्यटन सर्किट तैयार करना।

वित्तपोषण: 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित।

क्रियान्वयन:

- पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- संचालन और रखरखाव (O&M) संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. थीम आधारित पर्यटन सर्किट का विकास।
2. सड़कों, साइनबोर्ड, पार्किंग और सार्वजनिक सुविधाओं जैसे बुनियादी ढाँचे का विकास।
3. इको-पर्यटन और धरोहर संरक्षण के प्रयास।

अपार ID / APAAR ID

संदर्भ:

केंद्र और कई राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर **APAAR ID** अपनाने को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे **गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और इसकी स्वैच्छिक प्रकृति** को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

क्या है APAAR ID: यह एक **अद्वितीय 12-अंकों का कोड** है, जो छात्रों को उनकी सभी शैक्षणिक क्रेडिट्स (जैसे - स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेडशीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और सह-पाठ्यक्रम उपलब्धियाँ) को **डिजिटल रूप में संग्रहीत, प्रबंधित और एक्सेस करने** में मदद करता है।

यह किस पहल का हिस्सा है?

- यह **'One Nation, One Student ID'** कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा शुरू किया गया है।
- यह पहल **नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के अनुरूप है।

ID कैसे जेनरेट होती है?

- यह **Unified District Information System For Education Plus (UDISE+)** पोर्टल के माध्यम से बनाई जाती है।
- यह पोर्टल **क्षेत्रीय शैक्षणिक आँकड़ों** और **स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों के डेटा** को संग्रहीत करता है।

APAAR ID के लाभ:

1. **आसान स्थानांतरण:** विद्यार्थी बिना किसी कठिनाई के सत्यापित शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ संस्थानों के बीच आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं।
2. **शैक्षणिक पारदर्शिता:** यह मंच एक ही जगह पर शैक्षणिक और सह-पाठ्यक्रम उपलब्धियों को दिखाने की सुविधा देता है, जिससे समग्र शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।
3. **स्थायी भंडारण:** सभी रिकॉर्ड्स को **DigiLocker** में सुरक्षित करता है, जिससे कागज आधारित प्रमाणपत्रों पर निर्भरता कम होती है और इन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।

चुनौतियाँ:

1. **गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** स्पष्ट सुरक्षा उपायों की कमी के कारण बच्चों के डेटा के दुरुपयोग या लीक होने की चिंता होती है।
2. **स्वैच्छिकता पर भ्रम:** स्कूलों और राज्य सर्कुलरों से मिले मिश्रित संदेशों के कारण APAAR ID की स्वैच्छिकता के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है।
3. **कानूनी अनिश्चितता:** नाबालिगों के डेटा का बड़े पैमाने पर संग्रहण बिना मजबूत कानूनी ढांचे के असंवैधानिक माना जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति / International Olympic Committee

संदर्भ:

कर्स्टी कोवेन्ट्री को **IOC अध्यक्ष** चुना गया, जिससे वह **वैश्विक ओलंपिक संस्था का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी** बनीं।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC):

स्थापना और मुख्यालय:

- **स्थापना:** 1894 में **पियरे डी कुबर्टिन (Pierre de Coubertin)** द्वारा प्राचीन ग्रीक ओलंपिक को पुनर्जीवित करने के लिए।
- **मुख्यालय:** लॉज़ेन, स्विट्ज़रलैंड (Lausanne, Switzerland)।
- **उद्देश्य: "खेल के माध्यम से एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना" (Building a Better World through Sport)।**

भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ:

1. **ओलंपिक खेलों का संचालन:** ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन।
2. **राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (NOCs) की देखरेख:** विश्वभर में सभी NOCs को नियंत्रित करना।
3. **ओलंपिक चार्टर का पालन सुनिश्चित करना:** सभी देशों और आयोजकों द्वारा नियमों का पालन करना।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) सत्र:

- यह IOC सदस्यों की वार्षिक बैठक होती है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।
- **सदस्य:** 101 मतदान सदस्य + 45 मानद सदस्य।
- **निर्णय लिए जाते हैं:**
    1. ओलंपिक चार्टर में संशोधन।
    2. IOC के अध्यक्ष और कार्यकारी बोर्ड का चुनाव।
    3. भविष्य के ओलंपिक खेलों के मेज़बान शहर का चयन।

ओलंपिक के मेज़बान देश का चयन प्रक्रिया:

1. **अनौपचारिक संवाद (Informal dialogue):** IOC इच्छुक देशों के साथ संभावित निविदाओं (bids) पर चर्चा करता है।
2. **लक्षित संवाद (Targeted dialogue):**IOC का कार्यकारी बोर्ड "पसंदीदा मेज़बान" (preferred host) को अपनी योजना में सुधार करने के लिए आमंत्रित करता है।
3. **समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं:**अंतिम चयन में राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों के आधार पर कई वर्ष लग सकते हैं।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"
SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL
ANKIT AVASTHI
Video will be upload soon !
ANKIT AVASTHI

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

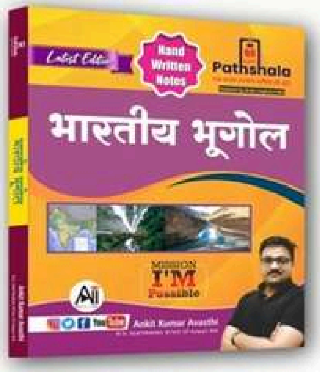

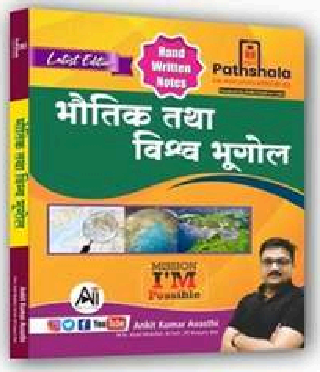

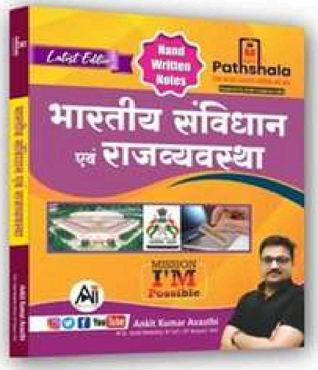

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

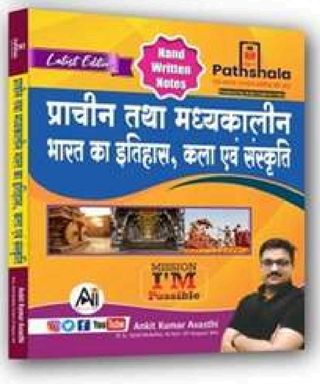

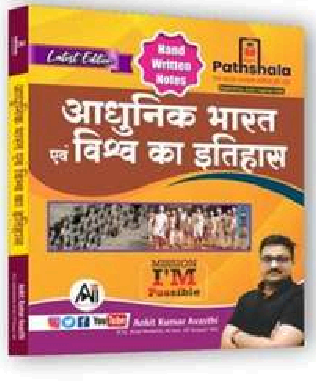

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

Apni Pathshala
एक कदम उज्जवल भविष्य की ओर

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
299/- YEAR
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

RO/ARO
(TEST SERIES)
ONLY 299/- YEAR
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

BPSC
(TEST SERIES)
ONLY 299 YEAR
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

SSC (TEST SERIES)
ONLY 99/- YEAR
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

RPF (TEST SERIES)
ONLY 99/- YEAR
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

Download | Application
Apni Pathshala
7878158882

Apni.Pathshala | Avasthiankit
AnkitAvasthiSir | kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE
FOUNDATION BATCH
FOR ALL
POLITY
ECONOMICS
HISTORY
GEOGRAPHY
LIVE
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Rs
4999/-
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

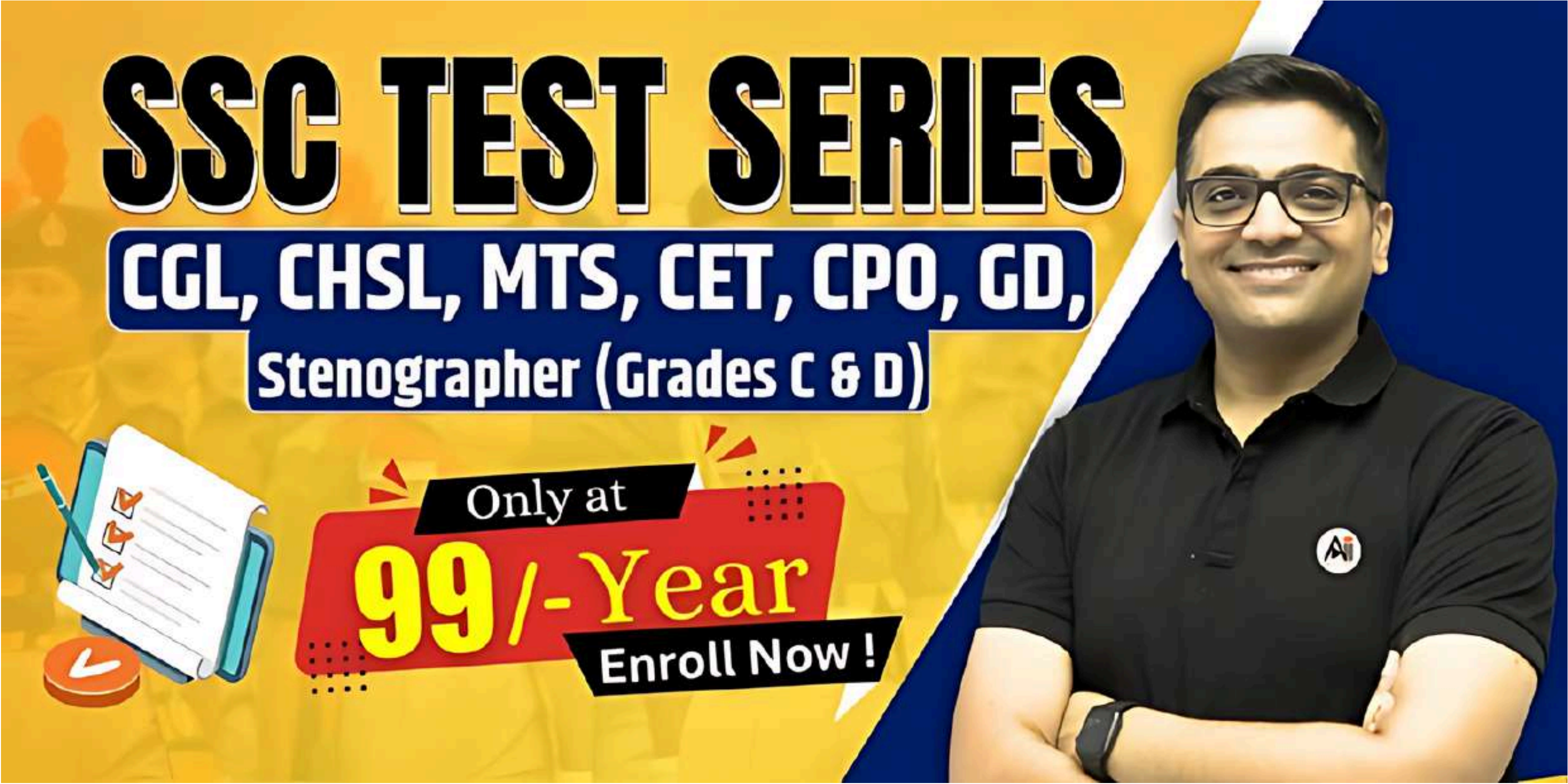
SSC TEST SERIES
CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)
Only at
99/-Year
Enroll Now !